न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 128/2019 (Bank Case)

एच0डी0बी0 फाईनेन्शियल सर्विसेज लि0, पता– एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड फर्स्ट फ्लोर, 3 पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिंकसिटी पेट्रोल पम्प, एम0आई0रोड जयपुर, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि जितेन्द्र सिंह राजावत

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. **मैसर्स गोहम्मद असलम एण्ड संस जरिये प्रोपराईटर मोहम्मद असलम, पता–सी–91, न्यू सब्जी मण्डी कोटा बी–1, कोटा राज0 324006 एवं खसरा नम्बर 253, प्लाट नं0 30, शक्ति विहार, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0 एवं शॉप नं0 91, ब्लॉक नं0 सी–नियर एरोड्राम सर्किल, नियर धानमण्डी कृषि उपज मण्डी समिति कोटा; तहसील लाडपुरा जिला कोटा (ऋणी)**
2. श्री शेखू शाह निवासी म0नं0 30, शक्ति विहार, रामचन्द्रपुरा, कोटा–324006
3. मोहम्मद असलम पुत्र श्री अहमद बख्श, पता– चौबदारों के मन्दिर के पास गिरजाघर के पीछे, बृजपुरा, कोटा–324006 एवं खसरा नं0 253 प्लाट नं. 30, शक्ति नगर, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 324007
4. यासमीन पत्नि मोहम्मद उस्मान पता–13, चौबदारों का मोहल्ला के पास बृजपुरा कोटा
5. मोहम्मद शाइरूख पुत्र श्री मोहम्मद असलम पता–30, होली फैमेली हॉस्पिटल के पीछे शक्ति बिहार फर्स्ट बोरखेडा, कोटा (राज0) 324001 (सह ऋणी)

(अप्रार्थीगण ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री उमेश कुमार, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: **20.11.2019**

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एच0डी0बी0 फाईनेन्शियल सर्विसेज लि0, पता– एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड फर्स्ट फ्लोर, 3 पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिंकसिटी पेट्रोल पम्प, एम0आई0रोड जयपुर, से अप्रार्थीगण ने जरिये एग्रीमेंट नं0

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

2957499 के जरिये 21,45,106/– (इक्कीस लाख, पैंतालिस हजार, एक सौ छः मात्र) एवं एग्रीमेन्ट नं0 1576219 के जरिये राशि 81,60,000/– (अक्षरे: इक्कांसी लाख, साठ हजार मात्र) कुल राशि 99,88,809/–(अक्षरे: रूपये नन्यानवें लाख, अठ्यांसी हजार, आठ सौ नौ मात्र) दिनांक 31.5.2016 को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति (1) खसरा नं0 253 प्लॉट नं0 30, शक्ति विहार ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा में स्थित है जिसका कुल क्षैत्रफल 183.33 वर्गगज है जिसकी चर्तुः सीमा निम्न है– पूर्व में– अन्य की भूमि, पश्चिम में– सड़क, उत्तर में– प्लॉट सं0 25,26, दक्षिण में– प्लॉट सं0 31,जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 23.10.2012 को जारी किया गया है, जिसका पंजीयन दिनांक 3010.2012 को उप पंजीयन कोटा द्वारा किया गया है ।**

(2) शॉप नं0 91, ब्लॉक नं0 सी, नियर एरोड्रम सर्किल न्यू धान मण्डी कृषि उपज मण्डी समिति कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0 324001में स्थित है । जिसका कुल क्षैत्रफल 348.50 वर्ग मीटर है जिसकी चर्तुः सीमा पूर्व में –सड़क, पश्चिम में– अन्य की दुकान, उत्तर में– दुकान सं0 92, दक्षिण में–दुकान सं0 90, है जिसका पट्टा विलेख दिनांक 24.12:2005 को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जारी किया गया है जिसका पंजीयन भी दिनांक 24.12.2005 को ही उप पंजीयक कोटा द्वारा किया गया है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 03.01.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है को पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 15.02:2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता एवं अंग्रेजी समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 25.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देयं राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को को दिनांक 15.02.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता एवं अंग्रेजी समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 25.2.2019 को प्रकांशन भी कराया इसके पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कियां। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 15.02.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

समाचार पत्र जनसत्ता एवं अंग्रेजी समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 25.2.2019 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **की अचल सम्पत्ति (1) खसरा नं0 253 प्लॉट नं0 30, शक्ति विहार ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा, कोटा में स्थित है जिसका कुल क्षैत्रफल 183.33 वर्गगज है जिसकी चर्तुः सीमा निम्न है– पूर्व में– अन्य की भूमि, पश्चिम में– सड़क, उत्तर में– प्लॉट सं0 25,26, दक्षिण में– प्लॉट सं0 31,जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 23.10.2012 को जारी किया गया है, जिसका पंजीयन दिनांक 3010.2012 को उप पंजीयन कोटा द्वारा किया गया है ।**

(2) शॉप नं0 91, ब्लॉक नं0 सी, नियर एरोड्रम सर्किल न्यू धान मण्डी कृषि उपज मण्डी समिति कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0 324001में स्थित है । जिसका कुल क्षैत्रफल 348.50 वर्ग मीटर है जिसकी चर्तुः सीमा पूर्व में –सड़क, पश्चिम में– अन्य की दुकान, उत्तर में– दुकान सं0 92, दक्षिण में–दुकान सं0 90, है जिसका पट्टा विलेख दिनांक 24.12.2005 को सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जारी किया गया है जिसका पंजीयन भी दिनांक 24.12.2005 को ही उप पंजीयक कोटा द्वारा किया गया है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner